

अत्यंत महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली 110092

फा.सं० 106/डी.सी.आई./क्यू.सी./2021-22/1005

दिनांक : २५/०३/२०२२

सेवा में,

उपसचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय: दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 205 दिनांक 29.03.2022 को सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह सूचना माननीय उद्योग मंत्री की स्वीकृति से जारी है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अजीत सिंह
(अजीत सिंह ठाकुर)
उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

प्रतिलिपि :

1. सचिव , माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय , दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित ।

अजीत सिंह
उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

उद्योग आयुक्त का कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार: उद्योग सदन
419, एफ.आई.ई., पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110 092

अतारांकित प्रश्न संख्या: 205
दिनांक : 29.03.2022
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री शिव चरण गोयल

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे-छोटे प्लॉट काट कर दुकानें/ऑफिस/षोरूम इत्यादि बनाने का कोई प्रावधान है।	डी.डी.ए. द्वारा डी.एस.आई.आई. डी.सी. को इस औद्योगिक क्षेत्र की लीज स्थानांतरित नहीं की गई है। अतः इस विषय में उद्योग विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।
(ख)	यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी दें; और	
(ग)	कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में वर्तमान समय में कितने प्लॉट पर छोट-छोटे प्लॉट काट कर बन रहे हैं, उनकी विस्तृत जानकारी दें?	

अजीत सिंह
(अजीत सिंह ठाकुर)
उपआयुक्त (उद्योग)